N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (जिला): औरैया
P.S. (थाना): औरैया
Year (वर्ष): 2023
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0832
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 11/09/2023 16:00

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	429

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

Day (दिन):	गुरूवार	Date From (दिनांक से):	31/08/2023	Date To (दिनांक तक):	31/08/2023
Time Period (समय अवधि):	पहर 1	Time From (समय से):	00:00 बजे	Time To (समय तक):	00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 11/09/2023 Time (समय):16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 050 Date & Time (दिनांक और समय): 11/09/2023 16:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5.Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 05 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): कखावतू काशीराम कालौनी ,औरैया

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम):

District(State) (ज़िला (राज्य)):

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): संदीप जौनपुर रेस्क्यू टीम

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1988

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खुशहुपुर बक्शा जौनपुर ,जौनपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	खुशहुपुर बक्शा जौनपुर ,जौनपुर,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9518392004

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	03 अज्ञात व्यक्ति			1. अज्ञात ,औरैया,औरैया,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, थाना प्रभारी, औरैया कोतवाली पुलिस स्टेशन, बनारसी दास, इटावा कानपुर हाईवे, बरमूपुर, औरैया-206122 11 सितम्वर विषय: औरैया में सामुदायिक कुत्ते के साथ अत्याचार एवं इसकी हत्या के विरुद्ध शिकायत एवं FIR दर्ज कराने का अनुरोध। महोदय, मैं आपके यह पत्र सदर कोतवाली क्षेत्र के कखावतु कांशीराम कलोनी में किसी व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर एक समुदायिक कुत्ते की बेरहमी से पिटाई, शोषण और हत्या की घटना को आपके संज्ञान में लाने और अपराधियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने और FIR दर्ज़ करने का अनुरोध करने हेतु लिख रहा हूं। मुझे इस घटना की जानकारी एक ट्वीट और 01 सितंबर 2023 को प्रकाशित विभिन्न समाचार लेखों के माध्यम मिली थी, जिसमें 31 अगस्त की CCTV फुटेज का उल्लेख किया गया था। इस CCTV फुटेज में, एक आदमी को कुत्ते के गले में रस्सी बांधते, उसे बेरहमी से जमीन पर पटकते और एक स्थान से दूसरे स्थान तक घसीट देखा जा सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह घटना सदर कोतवाली

क्षेत्र के कखावतू कांशीराम कलोनी की है और इस घटना से दो दिन पहले इस कलोनी मे किराए पर रहने वाले एक शख्स के 5 साल के बेटे को कुत्ते ने काट लिया था। स्थानीय लोगो के मुताबिक, यह लड़का कुत्ते को परेशान कर रहा था जिसके बाद बचाव मे कुत्ते ने लड़के को काट लिया था। इसके बाद बच्चे के पिता ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुस्से मे आकर कुत्ते की बेरहमी से पिटाई कर दी। समाचार लेखों मे उल्लेख किया गया है कि इस क्रूर पिटाई और यातना के परिणामस्वरूप कुत्ते की मृत्यु हो गई। उक्त घटना का वीडियो आपके अवलोकनार्थ तथा अभियुक्त की पहचान की पुष्टि हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है। किसी भी जानवर की हत्या एक गंभीर अपराध है और भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 429 के अंतर्गत किसी भी जानवर को मारना, ज़हर देना, अपंग करना या शारीरिक तौर पर नुकसान दंडनीय अपराध है जिसके लिए पाँच साल तक की कैद या जुमनि या दोनों का समाचार लेख से पता चलता है कि तीन लोगों ने पहले कुत्ते को अपने पास बुलाया उनमे से एक ने कुत्ते के गले मे रस्सी बांध दी फिर दूसरे ने कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। IPC की धारा 34 के तहत कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे से किया गया अपराध दंडनीय है।इसके अलावा, पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 की धारा 11 (1) उन कृत्यों को परिभाषित करती है जिन्हें जानवरों के प्रति क्रूर माना जाएगा और कानून के तहत दंडनीय बनाया जाएगा। अधिनियम की धारा 11 (1) (a) किसी भी जानवर को इस तरह से पीटने, लात मारने यातना देने या उसके साथ ऐसा व्यवहार करने पर रोक लगाती है । जिससे उसे अनावश्यक दर्द और पीड़ा झेलनी पड़ी। इस अधिनियम की धारा 11 (1) (I) किसी भी जानवर के अंग-भंग करने या किसी भी जानवर (लावारिस कुत्तों सहित) को मारने को संज्ञेय और दंडनीय अपराधPCA अधिनियम के तहत अपराध है। यह ध्यान देने योग्य है कि पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 जिसे पहले पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम 2001 के रूप में जाना जाता था। का नियम 16, कुत्ते के काटने के मामलों के समाधान का प्रावधान करता है जहां यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार के मानव-पशु संघर्ष के मामलों को इलाके के पशुचित्सकीय अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक कुत्तों के जन्म नियंत्रण हेतु आवंटित पशु कल्याण संगठन द्वारा रेकर्ड एवं हल किया जाएगा। इस नियम में यह भी उल्लेखित किया गया है कि इन सभी पशुओं को मानवीय ढंग से पकड़कर पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में अवलोकन के लिए रखा जाएगा।हम आपका ध्यान 7 मई 2014 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP(C) संख्या 11686/2007 में भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराजा शीर्षक वाले फैसले की ओर दिलाना चाहते हैं, जिसमें न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि PCA अधिनियम, 1960 को लागू करना सरकार का कर्तव्य है, और यदि अधिनियम के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और घोषणाओं का उचित और प्रभावी ढंग से अनुपालन नहीं किया जाता है, तो सरकार को इसके खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। इसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ

कार्रवाई की जाए ताकि अधिनियम के उद्देश्य को हासिल किया जा सके। इस प्रकार, उपर्युक्त घटना एक गभीर आपराधिक मामला है जिसके खिला IPC और PCA अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करनी चाहिए। इसलिए, उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में हम आपसे धारा 34 और धारा 429 और PCA अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(a) और 11(1)(l) के तहत तुरंत FIR दर्ज करने का अनुरोध करते है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उल्लिखित अनुभागों के अंतर्गत और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधान और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। आभार सहित, संदीप जौनपुर रेस्क्यू टीम खुशहुपुर बक्सा जौनपुर उत्तर प्रदेश 9518392004 एसडी अंग्रेजी अपठनीय संदीप दिनांक 11/9/2023 hm/cc FIR दर्ज करें एसडी अंग्रेजी अपठनीय थानाध्यक्ष थाना कोतवाली जिला औरैया दिनांक 11/9/23 नोट---मै का0 1247 प्रेम कुमार प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल व कायमी मुकदमा मेरे द्वारा वोल वोल कर कम्प्यूटर पर हे0का084 दीपक शुक्ला द्वारा किता किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Jakir Husain **Rank** (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 952391108 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name SHO KOTWALI
Rank SI (Sub-Inspector)
No. 9454402883

थाना कोतवाली औरैया
जनपद-औरैया